

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम-26)

2020

60256

दालत सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा नियम क्र. 10
वीरमराम बनाम CRM P2M POINT SOLU. PV. LTD. वा. 10
 मुकदमा 53, 88, 188, 92 R. R. A. नं. 96 सन् 2020

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-20	<p>वादी/वादीगण की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री <u>दरि - सिद्धांत प्रसेन</u> अन्तर्गत धारा <u>53, 88, 188, 92 R. R. A.</u> का पेश किया। जिस पत्र कार्यालय रिपोर्ट हो। प्रतिवादी को वाद पत्र के सम्मन मय वाद पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/ जवाबदावा दिन</p> <p>दिनांक <u>17.11.20</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓ सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा</p>	
27-20	<p>पत्रावली आज <u>बहुरकारान</u> के निवेदन पर सुनवाई में ली गयी। वासुलाप बहुरकारान उपस्थित।</p> <p>वकील वारी ने आवेदन पत्र पेश कर कथन किया कि बहुरकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है इल्लिये वारी वाद पत्र को आगे चलाना नहीं चाहता है क्युं वाद पत्र वारी जरीये जिस्ट्रेल शरीफ किया जावे।</p> <p>हुन पत्रावली का अवलोकन किए वाद गौर जयन्त पत्र वारी खीरा कर वाद पत्र वारी जरीये जिस्ट्रेल शरीफ किया जाया है।</p> <p>पत्रावली के मत सुमार थेकर दफ्तर रजिस्टर हो।</p> <p style="text-align: center;">↓ सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा</p>	<p style="text-align: right;">↓ मजिस्ट्रेट <u>Prakash Kumar</u> <u>Baranagar</u></p>